हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(2022-23)

तेरहवीं विधान सभा

निर्वाचन विभाग

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र)पर आधारित।

२२२वां प्रतिवेदन

(दिनांकः 10.08.2022 को सदन में उपस्थापित किया गया)

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1)

समिति का गठन

सभापति

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्य

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **निर्वाचन विभाग** से सम्बन्धित समिति का **222** वां प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12(राज्य के वित्त/ राजस्व क्षेत्र) पर आधारित है को सदन में उपस्थापित करती हूँ।

समिति का गठन, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 तथा 211 के अन्तर्गत, अधिसूचना सं0 वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28.03.2022 को किया गया।

समिति, प्रधान सचिव(निर्वाचन विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित सूचना दिनांक 30 जून, 2014 व 21 मई, 2022को उपलब्ध करवाई।

समिति, प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक 18.07.2022 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करने में आवश्यक सहयोग दिया।

आशा कुमारी

(आशा कुमारी)
सभापति,
लोक लेखा समिति।

दिनांकः 18 .07.2022
शिमला-171004

प्रतिवेदन

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) के विभागीय उत्तरों पर आधारित।

राज्य के वित्त

पैरा संख्याः 2.3.7 वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

पैरा संख्याः 2.3.8 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

पैरा संख्याः 2.6.7 व्यय का तीव्र प्रवाह

पैरा संख्याः 2.6.8 बिना प्रावधान के साख पत्र

पैरा संख्याः 2.6.9 बजटीय विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

पैरा संख्याः 2.6.10 वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां प्रस्तुत न करना

पैरा संख्याः 2.7 निष्कर्ष

पैरा संख्याः 2.8 सिफारिशें

टिप्पणी

उक्त पैरे वित्त विभाग आधिक्य से सम्बन्धित है जिस पर समिति ने अपना अभिमत समिति के 15वें प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) में दे दिया है तथा दिनांक 28.08.2018 को सदन के पटल पर उपस्थापित किया जा चुका है। अतः उक्त पैरों को इस प्रतिवेदन से समाप्त समझा जाए।

राजस्व क्षेत्र

पैरा संख्याः 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

पैरा संख्याः 1.1.1 वर्ष 2008-09 के दौरान जुटाए गए कर राजस्व

पैरा संख्याः 1.1.2 वर्ष 2008-09 के दौरान जुटाए गए मुख्य कर भिन्न राजस्व

पैरा संख्याः 1.2 बजट आकलनों व वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं

टिप्पणी

उपरोक्त पैरों पर समिति ने विचार-विमर्श उपरान्त सन्तुष्टि व्यक्त करते हुए कोई टिप्पणी न करने का निर्णय लिया है।

****